



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032023-244693
CG-DL-E-25032023-244693

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 188]
No. 188]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 24, 2023/चैत्र 3, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 24, 2023/CHAITRA 3, 1945

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, नई दिल्ली
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना
नई दिल्ली, 24 मार्च, 2023
(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/137/2017/डीडी/186/2017/डीसी/1314/2020.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने सीए. कुंजल चंद्रकांत मेहता (सदस्यता संख्या 134187), 203, उषादीप कॉम्प्लेक्स, नवरंगपुरा पुलिस थाने के समीप, रिलायंस सुपर मार्केट के सामने, अहमदाबाद (गुजरात) 380009, को पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 की मद (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और उसके परिणामस्वरूप पश्चात् अनुशासन समिति ने पूर्वोक्त नियमों के नियम 19(1) के निबंधनानुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् उपर्युक्त सीए. कुंजल चंद्रकांत मेहता (सदस्यता संख्या 134187) के नाम को 06 (छह) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और साथ ही केवल 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए) का जुर्माना अधिरोपित किया। अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. कुंजल चंद्रकांत मेहता (सदस्यता संख्या 134187) का नाम 24 मार्च, 2023 से 06 (छह) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./714/2022-23]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI*(Set up by an Act of Parliament)***NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th March, 2023

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/137/2017/DD/186/2017/DC/1314/2020.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rule 18(17) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Kunjal Chandrakant Mehta(Membership No. 134187), 203, Ushadeep Complex, Near Navrangpura Police Station, Opp Reliance Super Market, AHMEDABAD(Gujarat) 380009**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Item (7) of Part I of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently after affording an opportunity of being heard in terms of Rule 19(1) of the aforesaid Rules, ordered for removal of name of **CA. Kunjal Chandrakant Mehta(Membership No. 134187)** from the Register of Members for a period of 06(Six) months and also imposed a fine of Rs. 1,00,000/-(Rupees One Lakh) only. In pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, that the name of said **CA. Kunjal Chandrakant Mehta(Membership No. 134187)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 06(Six) months with effect from 24th March, 2023.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./714/2022-23]